संоसं0–1/कोर्ट–64/2014– 979(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्,
आई0ए0एस0 एसोशिएशन भवन,
पटना हवाई अड्डा के नजदीक,
पटना–800014.

पटना, दिनांक– 29/9/2014

विषयः–एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में नामांकन के संबंध में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–17022/2014 पतंजलि ऋषि, अधिवक्ता बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–25.09.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नामांकित छात्रों के शुल्क के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–1/कैम्प(SHS) दिनांक–28.09.2014 के द्वारा आपको एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में नामांकन के संबंध में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–17022/2014 पतंजलि ऋषि, अधिवक्ता बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–25.09.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बी0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड को अपेक्षित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।

जैसा कि आप अवगत हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नामांकन की अंतिम तिथि दिनांक–30.09.2014 निर्धारित है।

अतः नामांकन के क्रम में छात्रों के आसन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों द्वारा, ड्राफ्ट/चेक वा नकद जिस स्वरूप में भी नामांकन शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा हो, उसे स्वीकार किया जाय। ऐसे छात्र, जिनका कांउसिलिंग पूर्व में हो चुका है एवं जिनके द्वारा नामांकन शुल्क जमा कर दिया गया है, परन्तु यदि अब उनका संस्थान परिवर्तित हो रहा है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा किया गया नामांकन शुल्क, नये संस्थान के लिए भी मान्य होगा।

विश्वासभाजन

29.9.14

(अनिल कुमार)
सरकार के उप सचिव।